सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

केसरपुरा की वादग्रस्त आराजियात 10/3 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं का हक हिस्सा बेचान किया जाना पाया गया है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात का बेचान किया जा चुका है एवं जिसमें वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा शेष रहता है एवं अन्य व्यक्ति जो उक्त वादग्रस्त आराजियात के क्रेता है, उन्हें भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रथम दृष्टया बनना नहीं पाया जाता है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं बहस के आधार पर मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है एवं सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है एवं जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं है उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रकरण की मौजूदा परिस्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी कथन किए हैं कि वे और दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली दिनांक 03.10.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलक्टर, ब्यावर

3-10-18 — वकुला ए.पा.री.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यस्त/........................ पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. स.क्ष दिनांक 26-11-18 को पेश हों।

26-11-18 — ... प.पा.री.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो .... । मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. ... दिनांक 07-1-19 को पेश हों।

07-1-19 — वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण स्वयं अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित जिन्होने प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण व स्वयं प्रार्थीगण को रूक-रूक कर कई बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई हाजिर नहीं आए। अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर